SSC FOUNDATION
सम्मान 1.0 बैच
CONSTITUTION
EXECUTIVE OF THE UNION
(संघ की कार्यपालिका)
समय से तैयारी, समय से सफलता
DAILY LIVE : 12 PM
BY-PAWAN SIR
airGurukul

WELCOME TO

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by **Prince Edutech Private Limited**

⚠️ Disclaimer ⚖️

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by airGurukul Institute for Career Growth, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for educational and informational purposes only. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, airGurukul does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to verify details from official sources before making any decisions.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are solely for educational illustration and fair-use academic discussion. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. airGurukul shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited.

Part V of the Indian Constitution (भारतीय संविधान का भाग V)- ARTICLE- 52-151

"The Union" (संघ)

It contains provisions related to the Union Government – its structure, powers, functions, and responsibilities.

Structure of Part V

1. The Executive (कार्यपालिका) – Articles 52 to 78
2. The Parliament (संसद) – Articles 79 to 122
3. The Legislative Powers of the President (राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ) – Articles 123
4. The Union Judiciary (संघीय न्यायपालिका) – Articles 124 to 147
5. The Comptroller and Auditor-General of India (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) – Articles 148 to 151

1. The Executive (कार्यपालिका) – Articles 52 to 78

Article 52 – The President of India (भारत के राष्ट्रपति)
Article 53 – Executive power of the Union (संघ की कार्यपालिका शक्ति)
Article 54 – Election of President-Electoral College (राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल)
Article 55-62 – Method of Election, Manner, qualification, term, impeachment, and conditions of President (राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ढंग, योग्यता, कार्यकाल, महाभियोग और शर्तें)
Article 63 – The Vice-President of India (भारत के उपराष्ट्रपति)
Article 64-71 – Election, qualifications, functions, removal of Vice-President (उपराष्ट्रपति का चुनाव, योग्यताएं, कार्य, पदच्युति)
Article 72 – Power of President to grant pardons (क्षमा करने की शक्ति)
Article 74 – Council of Ministers to aid and advise the President
Article 75 – Prime Minister and other Ministers
Article 76 – Attorney-General of India (भारत के महाधिवक्ता)
Article 77-78 – Conduct of business of Union government (संघ सरकार के कार्य संचालन)

Article 52 – The President of India (भारत के राष्ट्रपति)

"There shall be a President of India."
This article establishes the office of the President as the constitutional head of the Indian Union.
"भारत का एक राष्ट्रपति होगा।"
यह अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है।
राष्ट्रपति भारत संघ का संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) होता है।

भारत ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, इसलिए राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, सरकार का प्रमुख नहीं।
India follows the Parliamentary System, so the President is the Head of State, not the Head of Government.

राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।
The President is the nominal executive, while the real executive powers are exercised by the Council of Ministers.

अनुच्छेद 53 (Article 53) – संघ की कार्यपालिका शक्ति (Executive Power of the Union)

Article 53(1):

"The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution."

"संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा।"

Article 53(2):

भारत की थल सेना, नौसेना और वायु सेना का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है।

The supreme command of the Defence Forces of India is vested in the President.

लेकिन (But):

इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार किया जाता है।

यद्यपि अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित बताई गई है, लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद करते हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख (Nominal Executive) होता है।

अनुच्छेद 54 (Article 54) – राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of the President)

"The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—
"राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाएगा, जिसमें—
(a) the elected members of both Houses of Parliament; and
(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तथा
(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States."
(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।"

❑ Legislative Councils
(राज्य विधान परिषद के सदस्य)
भाग नहीं लेते।

70वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

1992 के 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली (NCT of Delhi) तथा पुदुचेरी (Puducherry) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया।

The 70th Constitutional Amendment Act, 1992 included the elected members of the Legislative Assemblies of Delhi and Puducherry in the Electoral College.

भारतीय राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली पर आयरलैंड के संविधान का प्रभाव माना जाता है।

राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक (Proposer) और अनुमोदक (Seconder)

वर्तमान व्यवस्था (Current Provision)

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर:
कम-से-कम 50 प्रस्तावक (Proposers) होने चाहिए।
कम-से-कम 50 अनुमोदक (Seconders) होने चाहिए।
अर्थात् कुल **100 निर्वाचकों (50 + 50)** का समर्थन आवश्यक है।

सुरक्षा जमानत (Security Deposit)

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को **₹15,000** की जमानत राशि जमा करनी होती है।

शुरुआत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम समर्थन की आवश्यकता थी। इसके कारण कई **गैर-गंभीर (Non-serious)** और **प्रतीकात्मक उम्मीदवार** भी नामांकन दाखिल कर देते थे, जिससे चुनाव प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल हो जाती थी।

इस समस्या को रोकने के लिए **राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952** में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि उम्मीदवार को कम-से-कम **50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों** का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

📌 (a) MLA के वोट का मूल्य:

$$\text{Value of Vote of an MLA} = \frac{\text{Population of State (as per 1971 census)}}{\text{Total Elected MLAs of the State} \times 1000}$$

(जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना है, 84वें संशोधन (2001) के अनुसार इसे 2026 तक फ्रीज़ किया गया है।)

📌 (b) MP के वोट का मूल्य:

$$\text{Value of Vote of an MP} = \frac{\text{Total Value of Votes of All MLAs of All States}}{\text{Total Number of Elected MPs of Both Houses}}$$

अनुच्छेद 55 (Article 55) – राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (Manner of Election of President)

अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और सिद्धांत बताता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Uniformity among States) और संघ तथा राज्यों के बीच संतुलन (Parity between Union and States) बना रहे।

Article 55 lays down the **manner of election of the President**. Its objective is to ensure **uniformity in the representation of different States** and **parity between the States and the Union**.

- राष्ट्रपति चुनाव Proportional Representation (अनुपातिक प्रतिनिधित्व) प्रणाली से होता है।
- Single Transferable Vote (एकल हस्तांतरणीय मत) का उपयोग किया जाता है।
- मतदान गुप्त मतदान (secret ballot) से होता है।
- Indirect Election (अप्रत्यक्ष चुनाव):-

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से जनता द्वारा नहीं किया जाता।

Ballot – Green- MP
Ballot – Pink- MLA

भारतीय राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली पर आयरलैंड के संविधान का प्रभाव माना जाता है।

अनुच्छेद 56 (Article 56) – राष्ट्रपति की पदावधि (Term of Office of President)

अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के **कार्यकाल (Tenure)** तथा पद रिक्त होने की परिस्थितियों का वर्णन करता है।
Article 56 deals with the **term of office of the President** and the circumstances in which the office may become vacant.

अनुच्छेद 56(1) (क) राष्ट्रपति का कार्यकाल

राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है।
The President holds office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

अनुच्छेद 56(1) (ख) त्यागपत्र (Resignation)

राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है।
The President may resign by writing addressed to the Vice-President.
Note:- यदि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र प्राप्त होता है, तो वह इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
The Vice-President then communicates the resignation to the Speaker of the Lok Sabha.

अनुच्छेद 56(1)(ग) महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाना

राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन (Violation of Constitution) के आरोप में **महाभियोग (Impeachment)** द्वारा हटाया जा सकता है।The President may be removed from office by impeachment for violation of the Constitution.

अनुच्छेद 56(2)

उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहना

5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

इससे राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं रहता।

Even after the expiry of the five-year term, the President continues in office until his successor enters upon the office.

राष्ट्रपति का पद कब रिक्त हो सकता है?

राष्ट्रपति का पद निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है—

- 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर (उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने के बाद)
- त्यागपत्र देने पर
- महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर
- मृत्यु होने पर
- अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर

अनुच्छेद 57 (Article 57) – पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता (Eligibility for Re-election)

अनुच्छेद 57 के अनुसार, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है या रह चुका है, वह संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए पुनः राष्ट्रपति चुने जाने के लिए पात्र (Eligible for Re-election) होगा।

According to Article 57, a person who holds or has held the office of President shall be eligible for **re-election to that office**, subject to the other provisions of the Constitution.

- कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है।
- यदि वह अनुच्छेद 58 में वर्णित योग्यताओं को पूरा करता है, तो पुनः चुनाव लड़ सकता है।
- संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।

अनुच्छेद 58 (Article 58) – राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ (Qualifications for Election as President)

अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यताओं (Qualifications) का वर्णन करता है। कोई व्यक्ति तभी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है जब वह संविधान द्वारा निर्धारित सभी अर्हताओं को पूरा करता हो।

Article 58 lays down the qualifications required for election as the President of India.

अनुच्छेद 58(1)

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए
(ख) न्यूनतम आयु 35 वर्ष
(ग) लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता

अनुच्छेद 58(2) : लाभ के पद का निषेध (Office of Profit)

उम्मीदवार भारत सरकार, राज्य सरकार या उनके अधीन किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद (Office of Profit) धारण नहीं करेगा।

The candidate should not hold any office of profit under the Government of India, State Government, or any local or other authority.

राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक (Proposer) और अनुमोदक (Seconder)

वर्तमान व्यवस्था (Current Provision)

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर:
कम-से-कम 50 प्रस्तावक (Proposers) होने चाहिए।
कम-से-कम 50 अनुमोदक (Seconders) होने चाहिए।
अर्थात् कुल **100 निर्वाचकों (50 + 50)** का समर्थन आवश्यक है।

सुरक्षा जमानत (Security Deposit)

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को **₹15,000** की जमानत राशि जमा करनी होती है।

अनुच्छेद 59 (Article 59) – राष्ट्रपति के पद की शर्तें (Conditions of President's Office)

अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्तों, सुविधाओं और प्रतिबंधों का वर्णन करता है।
Article 59 lays down the conditions of the President's office, including restrictions and privileges attached to the office.

अनुच्छेद 59(1)

राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा
The President shall not be a member of either House of Parliament or of a State Legislature.
राष्ट्रपति अपने पद की अवधि के दौरान—
संसद के किसी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य नहीं रहेगा।
किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा।
यदि कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही उसकी वह सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।

अनुच्छेद 59(2)
राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य लाभ का पद (Office of Profit) धारण नहीं कर सकता।
The President shall not hold any other office of profit during his term of office.

अनुच्छेद 59(3)
राष्ट्रपति को बिना किराया दिए उसके आधिकारिक निवास (Official Residence) का उपयोग करने का अधिकार है। उसे संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।
The President is entitled to use the official residence without payment of rent and is entitled to such emoluments, allowances, and privileges as Parliament may determine.

अनुच्छेद 59(4)
राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखना है।
The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office.

अनुच्छेद 60 (Article 60) –
राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation by the President)

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ (Oath) या प्रतिज्ञान (Affirmation) का प्रावधान करता है।

Article 60 provides for the oath or affirmation to be made by the President before entering upon office.

शपथ कौन दिलाता है?

राष्ट्रपति को शपथ **भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India)** दिलाते हैं।
यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हों, तो **उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश** शपथ दिलाते हैं।

The President takes the oath before the **Chief Justice of India (CJI)**. In the absence of the CJI, the senior-most available Judge of the Supreme Court administers the oath.

अनुच्छेद 61 (Article 61) – राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
(Procedure for Impeachment of the President)

अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन (Violation of the Constitution) के आरोप में पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग (Impeachment) कहा जाता है।

Article 61 provides the procedure for the impeachment of the President for violation of the Constitution.

चरण 1 : आरोप लगाने का प्रस्ताव

महाभियोग का प्रस्ताव संसद के **किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा)** में प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रस्ताव लाने से पहले–
सदन की कुल सदस्य संख्या के **कम से कम 1/4 सदस्यों** द्वारा लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति को **14 दिन पूर्व** सूचना दी जानी चाहिए।

चरण 2 : प्रथम सदन द्वारा पारित

आरोप वाला प्रस्ताव सदन की **कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत** से पारित होना चाहिए।

चरण 3 : दूसरे सदन द्वारा जांच

दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या करवाता है।
राष्ट्रपति को–
उपस्थित होने का अधिकार है।
अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
प्रतिनिधि (Counsel) के माध्यम से बचाव करने का अधिकार है।

चरण 4 : अंतिम निर्णय

यदि दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के **2/3 बहुमत** से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उसी दिन पद से हट जाता है।

महाभियोग की विशेषताएँ

संसद का कोई भी सदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
दोनों सदनों की भागीदारी आवश्यक है।
निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य मतदान कर सकते हैं।
राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती।
यह एक अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) प्रक्रिया है।
अब तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफलतापूर्वक नहीं चलाया गया है।

अनुच्छेद 62 (Article 62) –

राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय तथा आकस्मिक रिक्ति की अवधि
(Time of Holding Election to Fill Vacancy in the Office of President)

अनुच्छेद 62(1)

नियमित रिक्ति (Regular Vacancy)

जब राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव **कार्यकाल समाप्त होने से पहले** करा लिया जाना चाहिए।
ताकि राष्ट्रपति का पद रिक्त न रहे।

An election to fill a vacancy caused by the expiration of the President's term must be completed **before the expiry of the term**.

अनुच्छेद 62(2)
आकस्मिक रिक्ति (Casual Vacancy)

यदि राष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो जाए—

मृत्यु (Death)

त्यागपत्र (Resignation)

महाभियोग द्वारा हटाया जाना (Removal)

अन्य कारण

तो रिक्ति को भरने के लिए चुनाव **यथाशीघ्र (as soon as possible)** कराया जाएगा।

If a vacancy occurs due to:

Death

Resignation

Removal

Any other reason

the election shall be held **as soon as possible.**

**आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में नया राष्ट्रपति चुनने का चुनाव 6 माह के भीतर सम्पन्न होना अनिवार्य है।
आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया राष्ट्रपति केवल शेष अवधि के लिए नहीं, बल्कि पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त करता है।**

कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) – कालक्रमानुसार

वर्ष	कार्यवाहक राष्ट्रपति	कारण
1960	Mohammad Hidayatullah (मुख्य न्यायाधीश)	राष्ट्रपति Rajendra Prasad की विदेश यात्रा के दौरान अस्थायी रूप से
1969	Varahagiri Venkata Giri	राष्ट्रपति Zakir Husain के निधन के बाद
1969	Mohammad Hidayatullah	वी.वी. गिरि के इस्तीफे के बाद, नए राष्ट्रपति के चुनाव तक
1977	Basappa Danappa Jatti	राष्ट्रपति Fakhruddin Ali Ahmed के निधन के बाद
1982	Mohammad Hidayatullah (उपराष्ट्रपति)	राष्ट्रपति Neelam Sanjiva Reddy की विदेश यात्रा के दौरान
1987	Ramaswamy Venkataraman	राष्ट्रपति Zail Singh की विदेश यात्रा के दौरान अल्पकालिक कार्यवाहक व्यवस्था

Article 64–

"भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।"

- यह अनुच्छेद भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के बाद।
- यह अनुच्छेद बहुत छोटा है और केवल इस पद की स्थापना का उल्लेख करता है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव, अधिकार, कर्तव्य, योग्यता और पद से हटाने से संबंधित विस्तृत प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 64 से 71** तक दिए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है जिसे शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति (Chairman) होते हैं।
- यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, मृत्यु हो जाए, हटा दिए जाएँ या कार्य करने में असमर्थ हों, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं (जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता)।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, किंतु अंतर यह है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रपति बन जाते हैं, जबकि भारत में यह केवल अंतरिम व्यवस्था होती है।

Article 63 of the Constitution of India states:

"There shall be a Vice-President of India."

This article provides for the office of the Vice-President in India. The Vice-President is the second highest constitutional office in the country after the President. The Article itself is very short and simply mentions the creation of the post, but the details about the election, powers, functions, qualifications, and removal of the Vice-President are elaborated in Articles 64 to 71 of the Constitution.

Key Points:

The post of the Vice-President is a constitutional office established to ensure continuity of governance.

The Vice-President acts as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Council of States).

The Vice-President can also perform the functions of the President if the President resigns, dies, is removed, or otherwise becomes unable to discharge duties (till a new President is elected).

The Vice-President is elected indirectly by the members of both Houses of Parliament.

The office of Vice-President is inspired by the American Constitution, but with some differences (in the US, the Vice-President automatically succeeds the President permanently, whereas in India, it is only until a new President is elected).

Article 64–

The Vice-President to be ex-officio Chairman of the Council of States (Rajya Sabha)

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा

मुख्य बिंदु:

पदेन सभापति (Ex-officio Chairman):

- उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण स्वचालित रूप से राज्यसभा का सभापति बन जाता है।
- उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करना और अनुशासन बनाए रखना है।

लाभ का अन्य पद धारण न करना:

- उपराष्ट्रपति किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।
- यह व्यवस्था इसलिए है ताकि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ निभाई जा सकें।

राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य:

- बहस और चर्चाओं को संचालित करना।
- सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखना।
- कार्यवाही के दौरान उठाए गए बिंदु-ए-व्यवस्था (Points of Order) पर निर्णय देना।
- बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देना (विशेष परिस्थितियों में)।
- सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाना।

लोकसभा अध्यक्ष से तुलना:

- लोकसभा में सभापति (Speaker) सदन का निर्वाचित सदस्य होता है।
- राज्यसभा में सभापति सदस्य नहीं होता, बल्कि उपराष्ट्रपति होता है।

Ex-officio Chairman:

The Vice-President automatically becomes the Chairman of the Rajya Sabha by virtue of his office (ex-officio).

His main role is to preside over the meetings of the Rajya Sabha and maintain its order and discipline.

No Office of Profit:

The Vice-President is not allowed to hold any other office of profit simultaneously.

This ensures his independence and neutrality while performing constitutional duties.

Functions as Chairman of Rajya Sabha:

Regulates debates and discussions.

Maintains decorum in the House.

Decides on points of order.

Casts a decisive vote in case of a tie (only in certain circumstances).

Ensures smooth functioning of the Rajya Sabha.

Comparison with Lok Sabha Speaker:

In Lok Sabha, the Speaker is an elected member of the House, whereas in Rajya Sabha, the Vice-President (not a member) acts as Chairman.

Article 65– The Vice-President to act as President in certain contingencies

अनुच्छेद 65 – कुछ परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा

•राष्ट्रपति के रूप में कार्य (रिक्ति की स्थिति):

•यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे।

•यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक नया राष्ट्रपति 6 माह के भीतर निर्वाचित नहीं हो जाता (अनुच्छेद 62 के अनुसार)।

•कर्तव्यों का निर्वहन (अस्थायी अनुपस्थिति):

•यदि राष्ट्रपति किसी बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्य करेंगे।

•अधिकतम अवधि:

•उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है।

•शक्तियाँ और विशेषाधिकार:

•इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होते हैं।

•वेतन:

•राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, न कि उपराष्ट्रपति का।

•ऐतिहासिक उदाहरण:

•1969 में राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। उस समय उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में, भारत के मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह ने भी कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला, जब तक कि नया चुनाव नहीं हो गया।

•Acting as President (Casual Vacancy):

•If the office of the President becomes vacant due to death, resignation, removal, or otherwise, the Vice-President shall act as the President until a new President is elected within 6 months.

•Discharge of Functions (Temporary Vacancy):

•If the President is unable to discharge his functions due to illness, absence, or any other reason, the Vice-President discharges the functions of the President until the President resumes office.

•Limit on Acting Period:

•The Vice-President can act as President only for a maximum of 6 months, within which a new President must be elected as per Article 62.

•Powers and Immunities:

•While acting as President, the Vice-President has all the powers, privileges, and immunities of the President.

•Salary:

•During this period, the Vice-President is entitled to the salary and allowances of the President, not of the Vice-President.

•Historical Example:

•In 1969, when President Dr. Zakir Hussain died in office, Vice-President V.V. Giri acted as President. Later, Justice M. Hidayatullah (Chief Justice of India) also acted as President for a brief period until a new election was held.

Article 66 of– Election of Vice-President

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाएगा, जो एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।
उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता।
यदि वह सदस्य है, तो पद ग्रहण करते समय उसकी वह सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति –

- भारत का नागरिक होना चाहिए,
- उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए,
- और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण करता है, तो वह उपराष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं होगा (सिवाय उन पदों के जिन्हें संसद ने अपात्रता से मुक्त घोषित किया हो)।

संसद द्वारा पारित
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952
(Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952) के तहत किसी भी उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम **20 सांसद (MP) प्रस्तावक** (proposers) और **20 सांसद (MP) अनुमोदक** (seconders) होने चाहिए

निर्वाचन मंडल (Electoral College):

- राष्ट्रपति के विपरीत (जहां सांसद और विधायक दोनों वोट देते हैं),
- उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल सांसदों (लोकसभा + राज्यसभा) द्वारा किया जाता है।
- इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।

मतदान की प्रणाली:

- चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) से होता है।
- मतदान की विधि एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) होती है।
- मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।

उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता:

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- न्यूनतम आयु 35 वर्ष।
- राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए।

Key Points:

Electoral College:

Unlike the President (who is elected by both MPs and MLAs), the Vice-President is elected only by Members of Parliament (Lok Sabha + Rajya Sabha).

Elected + Nominated members of both Houses participate.

Voting Method:

The election is held by Proportional Representation using the Single Transferable Vote (STV) system.

Voting is done by secret ballot.

Qualifications for Vice-President:

Must be a citizen of India.

Must be at least 35 years old.

Must be eligible for election as a Rajya Sabha member.

Disqualifications:

Cannot hold any office of profit under Union, State, or local authority.

Certain offices (like President, Vice-President, Governor, Minister) are not considered offices of profit for this purpose.

Resignation from Membership:

If elected Vice-President, and he is already a member of Lok Sabha, Rajya Sabha, or State Legislature, his seat becomes vacant automatically.

Article 67– Term of office of Vice-President / उपराष्ट्रपति के पद की अवधि

कार्यकाल:
- सामान्य अवधि = 5 वर्ष।
- लेकिन यदि उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं।

इस्तीफ़ा:
- उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित पत्र लिखकर इस्तीफ़ा दे सकते हैं।

पद से हटाना (Removal):
- कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं।

•इसके लिए आवश्यक है:
- राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना।
- और उस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाना।

•ध्यान दें: राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग) कठिन है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाना अपेक्षाकृत सरल है।

पद पर निरंतरता:
- 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी यदि नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया है, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

पुनः निर्वाचन:
- उपराष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं।

Key Points in Detail:

Term of Office:

- Normal tenure = 5 years.
- However, he continues till his successor takes over (to avoid a vacuum).

Resignation:

- The Vice-President can resign anytime by writing a letter addressed to the President of India.

Removal:

- The Vice-President can be removed before the completion of his term.
- Removal requires:
  - A resolution of Rajya Sabha, passed by a majority of all its members.
  - This resolution must be agreed to by the Lok Sabha.
- Note: Unlike the President (who is removed by impeachment), the Vice-President's removal procedure is simpler.

Continuity in Office:

- Even after 5 years, if a new Vice-President is not elected, the sitting Vice-President continues till the successor assumes office.

Re-election:

- A Vice-President is eligible for re-election.

Article 68– Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice-President and the term of office of person elected to fill the casual vacancy

अनुच्छेद 68 – उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति होने पर चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल

Article 69– Oath or affirmation by the Vice-President

अनुच्छेद 69 – उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

शपथ दिलाने वाला अधिकारी:

The President of India administers the oath to the Vice-President.

उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं।

If the President is absent, some person appointed by him can administer it.

यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हों, तो उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति शपथ दिला सकता है।

अनुच्छेद 70 (Article 70) – अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

Article 70 – Discharge of President's Functions in Other Contingencies

"संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।"

"Parliament may make such provision as it thinks fit for the discharge of the functions of the President in any contingency not provided for in this Chapter."

यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएँ या दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। यदि CJI उपलब्ध न हों, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करेंगे।

- अनुच्छेद 70 संसद को अवशिष्ट (Residuary) शक्ति प्रदान करता है।
- इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है।
- यह केवल संसद को व्यवस्था बनाने का अधिकार देता है।
- CJI द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन संविधान में नहीं, बल्कि President (Discharge of Functions) Act, 1969 में वर्णित है।

अनुच्छेद 71 (Article 71) – राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद

Article 71 – Matters Relating to, or Connected with, the Election of the President or Vice-President

Article 71(1)

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच तथा निर्णय **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of the President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final.

Article 71(2)

यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन अमान्य घोषित कर देता है, तब भी उसके द्वारा पद पर रहते हुए किए गए कार्य वैध बने रहेंगे।

If the election of a person as President or Vice-President is declared void by the Supreme Court, the acts done by him before such declaration shall remain valid.

Article 71(3)

संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विषय को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है।

Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of the President or Vice-President.

Article 71(4)

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल (Electoral College) में कोई रिक्ति थी।

The election of a President or Vice-President cannot be challenged merely on the ground that there was a vacancy among the members of the Electoral College.

1975 के **39th Constitutional Amendment** द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था।
बाद में **Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952

Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952

यह अधिनियम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन, जांच, मतदान, मतगणना और चुनाव याचिकाओं का प्रावधान करता है।

This Act regulates nominations, scrutiny, polling, counting of votes, and election petitions relating to the President and Vice-President.

अनुच्छेद 72 (Article 72) – राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

Article 72 – Power of President to Grant Pardons

राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति की सजा को क्षमा (Pardon), प्रविलंबन (Reprieve), विराम (Respite), परिहार (Remission), निलंबन (Suspension), लघुकरण (Commutation) करने की शक्ति प्राप्त है।

The President has the power to grant pardon, reprieve, respite, remission, suspension, or commutation of punishment of a convicted person.

अनुच्छेद 72(1) – राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किन मामलों में लागू होती है?

(a) Cases where punishment is by Court Martial

सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दी गई सजा में राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है।

The President can grant relief in cases where punishment has been awarded by a Court Martial.

(b) Offences against laws relating to matters under Union Executive Power

ऐसे अपराध जिन पर संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है।

Offences against laws concerning matters to which the executive power of the Union extends.

(c) All Cases of Death Sentence

मृत्युदंड चाहे किसी भी कानून के अंतर्गत दिया गया हो, राष्ट्रपति उसे क्षमा, निलंबित या परिवर्तित कर सकता है।

In every case where the sentence is death, the President may grant pardon or alter the punishment.

अनुच्छेद 72(2)

राष्ट्रपति की शक्ति, सैन्य अधिकारियों को कानून द्वारा प्राप्त दंड निलंबन अथवा लघुकरण की शक्तियों को प्रभावित नहीं करती।

The President's power does not affect the powers conferred by law on military authorities to suspend, remit, or commute sentences.

अनुच्छेद 72(3)

मृत्युदंड के मामलों में राज्यपाल को प्राप्त शक्तियां भी राष्ट्रपति की शक्ति से प्रभावित नहीं होंगी।

The powers of the Governor regarding suspension, remission, or commutation of a death sentence are not affected by the President's powers.

Maru Ram v. Union of India (1980)- राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा।
Kehar Singh v. Union of India (1989)- राष्ट्रपति दया याचिका पर मामले के तथ्यों की पुनः समीक्षा कर सकता है।
Epuru Sudhakar v. Government of Andhra Pradesh (2006)- क्षमादान शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है; न्यायिक समीक्षा संभव है।

शक्ति		Example (उदाहरण)
क्षमा (Pardon)	अपराध और सजा दोनों को पूरी तरह समाप्त कर देना	किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा हुई थी, राष्ट्रपति ने क्षमा दे दी → अब न अपराधी माना जाएगा, न सजा भुगतनी होगी।
प्रविलंबन (Reprieve)	सजा के क्रियान्वयन को कुछ समय के लिए टाल देना	फांसी 1 जून को होनी थी, दया याचिका पर विचार हेतु 1 महीने के लिए रोक दी गई।
विराम (Respite)	विशेष परिस्थितियों के कारण कम या हल्की सजा देना	गर्भवती महिला को 5 वर्ष की सजा के स्थान पर 2 वर्ष की सजा देना।
परिहार (Remission)	सजा की अवधि कम करना, लेकिन सजा का प्रकार वही रहता है	10 वर्ष की कैद को घटाकर 6 वर्ष कर देना।
निलंबन (Suspension)	सजा को कुछ समय के लिए रोक देना	5 वर्ष की सजा है, लेकिन 1 वर्ष तक उसे लागू नहीं किया जाएगा।
लघुकरण (Commutation)	कठोर सजा को हल्की सजा में बदल देना	मृत्युदंड → आजीवन कारावास, या आजीवन कारावास → 10 वर्ष का कारावास।

Article 73– Extent of Executive Power of the Union
अनुच्छेद 73 – संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा

संघ की कार्यपालिका शक्ति इन पर लागू होगी –

- उन विषयों पर जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है।
- उन अधिकारों, शक्तियों और अधिकार-क्षेत्रों पर जो भारत सरकार को किसी संधि (Treaty) या समझौते के आधार पर प्राप्त होते हैं।

लेकिन, जिन विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं (समवर्ती सूची), वहाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी, जब तक कि –

- संविधान में विशेष रूप से प्रावधान न हो, या
- संसद किसी कानून द्वारा उसे यह शक्ति प्रदान न करे।

अनुच्छेद 74 (Article 74) – राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

Article 74 – Council of Ministers to Aid and Advise the President

अनुच्छेद 74(1)

राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए **प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)** होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा।

There shall be a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall act in accordance with such advice.

मूल संविधान (1950)

मूल संविधान में केवल यह लिखा था कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यह स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य होगा या नहीं।

Originally, the Constitution only provided for a Council of Ministers to aid and advise the President. It did not expressly state whether the President was bound by the advice.

42वाँ संविधान संशोधन, 1976

इस संशोधन ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

This amendment made it mandatory for the President to act according to the advice of the Council of Ministers.

44वाँ संविधान संशोधन, 1978

राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार (Reconsideration) हेतु वापस भेज सकता है। लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होगा।

The President may require the Council of Ministers to reconsider its advice once, but after reconsideration, the President is bound by that advice.

अनुच्छेद 74(2)

न्यायालय यह जांच नहीं करेगा कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी थी और न ही यह कि कोई सलाह दी गई थी या नहीं।

Courts cannot inquire into the advice tendered by Ministers to the President.

अनुच्छेद 75 (Article 75) – मंत्रियों के बारे में उपबंध (Other Provisions as to Ministers)

अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की
नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, वेतन तथा संसद के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित है।

Article 75(1)

The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

Exam Point

राष्ट्रपति अपनी इच्छा से मंत्री नहीं चुन सकता।
प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के नाम सुझाता है।

Article 75(1A)

The total number of Ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha.

प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के **15% से अधिक नहीं होगी।**

Important

जोड़ा गया: **91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003**

लोकसभा = 543 सदस्य

अधिकतम मंत्री = 81 (543 × 15%)

Article 75(1B)

A member disqualified under the Anti-Defection Law cannot be appointed as a Minister until re-elected or until the disqualification period ends.

दल-बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया सदस्य मंत्री नहीं बन सकता, जब तक वह पुनः निर्वाचित न हो जाए या उसकी अयोग्यता समाप्त न हो जाए।

Added By

91st Constitutional Amendment Act, 2003

दल-बदल अधि०
10 वीं अनुसूचि
52 सं० सं० - 1985

Article 75(2)

Ministers hold office during the pleasure of the President.

मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure) पद धारण करते हैं।

Real Meaning

व्यवहार में राष्ट्रपति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री तय करता है कि कौन मंत्री रहेगा और कौन नहीं।

Article 75(3)

The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People (Lok Sabha).

मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

Meaning

यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

Article 75(4)

Before entering office, a Minister shall take the oath of office and secrecy before the President.

पद ग्रहण करने से पहले मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा।

Third Schedule

शपथ का प्रारूप संविधान की **तीसरी अनुसूची (Third Schedule)** में दिया गया है।

Article 75(5)

A Minister who is not a member of either House of Parliament for six consecutive months shall cease to be a Minister.

यदि कोई मंत्री लगातार 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता, तो वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता।

राज्य सभा :- Back Door Entry

Example

कोई व्यक्ति मंत्री बनाया गया लेकिन सांसद नहीं है। उसे 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा।

Article 75(6)

The salaries and allowances of Ministers shall be determined by Parliament.

मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 76 (Article 76) – भारत का महान्यायवादी (Attorney General for India)

यह भारत सरकार का **सर्वोच्च विधिक (Legal) अधिकारी** होता है।

Article 76(1)

The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be the Attorney General for India.

1st Law officer

राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो।

भारत सरकार का वकील

योग्यता (Qualifications)

भारत का नागरिक हो।

कम-से-कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।

या

कम-से-कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।

या

राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।

महान्यायवादी की नियुक्ति -राष्ट्रपति द्वारा।

Article 76(2)

It shall be the duty of the Attorney General to advise the Government of India upon legal matters.

महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को विधिक (कानूनी) मामलों पर सलाह देना है।

कार्य (Functions)

- केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना।
- सरकार का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में रखना।
- राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्य करना।
- संविधान और कानून से संबंधित मामलों में सरकार की सहायता करना।

Article 76(3)

The Attorney General shall have the right of audience in all courts in the territory of India.

महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होकर बहस करने का अधिकार होगा।

Meaning

वह भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की ओर से पेश हो सकता है।

Article 76(4)

The Attorney General shall hold office during the pleasure of the President and shall receive such remuneration as the President may determine.

महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure) पद धारण करेगा तथा उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

Article 88 –

Every Minister and the Attorney General of India shall have the right to speak in and otherwise take part in the proceedings of either House of Parliament, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not be entitled to vote unless he is a member of that House.

प्रत्येक मंत्री तथा भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति (जिसका वह सदस्य हो) की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वह मतदान (Vote) तभी कर सकेगा जब वह उस सदन का सदस्य हो।

अनुच्छेद 77 (Article 77) – भारत सरकार के कार्यों का संचालन

(Conduct of Business of the Government of India)

अनुच्छेद 77 यह बताता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से कैसे किए जाएंगे।

Article 77(1)

All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.

भारत सरकार की सभी कार्यपालिका (Executive) कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएँगी।

Meaning

सरकार का कोई भी प्रशासनिक आदेश, नियुक्ति, अधिसूचना या निर्णय **"राष्ट्रपति के नाम से"** जारी किया जाता है।

Example

किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति
किसी अधिकारी का स्थानांतरण
किसी अध्यादेश की अधिसूचना
ये सभी आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं।

मान लीजिए केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार देने का निर्णय लेती है।
निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है।
आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है।
संबंधित अधिकारी उसका प्रमाणीकरण करता है।

Article 77(2)

Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified by rules.

राष्ट्रपति के नाम से जारी आदेशों और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण (Authentication) नियमों के अनुसार किया जाएगा।

Meaning

हर आदेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होते।
अधिकृत अधिकारी (Authorized Officer) के प्रमाणीकरण के बाद वह वैध माना जाता है।

Article 77(3)

The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India and for allocation among Ministers of the said business.

राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के सुविधाजनक संचालन तथा मंत्रियों के बीच कार्यों के बंटवारे के लिए नियम बनाएगा।

Meaning

कौन-सा मंत्रालय कौन-सा कार्य करेगा, इसका निर्धारण **Government of India (Allocation of Business) Rules** द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद 78 (Article 78) – प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य

अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री (Prime Minister) के उन कर्तव्यों का उल्लेख है जो उसे राष्ट्रपति के प्रति निभाने होते हैं।

- **Article 74** राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह की बात करता है।
- **Article 78** प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच सूचना एवं संवाद (Communication) की व्यवस्था बताता है।

Article 78(a)

It shall be the duty of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation.

प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन तथा विधेयकों (Bills) से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दे।

Meaning

मंत्रिपरिषद जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है।

Example

नया कानून लाने का प्रस्ताव
नई नीति बनाना
महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय
इन सबकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है।

Article 78(b)

The Prime Minister shall furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for.

राष्ट्रपति जब भी संघ के प्रशासन या विधेयकों से संबंधित कोई सूचना मांगे, तो प्रधानमंत्री उसे उपलब्ध कराएगा।

Meaning

राष्ट्रपति किसी भी सरकारी मामले पर जानकारी मांग सकता है।

Example

राष्ट्रपति किसी नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तृत जानकारी मांगता है, तो प्रधानमंत्री उसे उपलब्ध कराएगा।

Article 78(c)

If the President so requires, the Prime Minister shall submit for consideration of the Council of Ministers any matter on which a Minister has taken a decision but which has not been considered by the Council.

यदि राष्ट्रपति चाहे, तो प्रधानमंत्री किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो।

Meaning

कोई मंत्री अकेले कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले ले और मंत्रिपरिषद ने उस पर चर्चा न की हो, तो राष्ट्रपति उस विषय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखने के लिए कह सकता है।

मान लीजिए गृह मंत्री ने किसी महत्वपूर्ण सुरक्षा नीति पर निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने अभी उस पर विचार नहीं किया।
राष्ट्रपति को लगता है कि यह विषय महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है कि इसे पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाए।

THANK YOU

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Follow Us |

Powered by **Prince Edutech Private Limited**